



Neutral Citation No. - 2026:AHC:12196

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 2946 वर्ष 2025

अंकुरआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : आशीष कुमार सिंह, भव्य सहाई विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : आकाश खरे, शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई।
2. श्री भव्य सहाई, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री आकाश खरे, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री दीपक कुमार सिंह, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 750 वर्ष 2024, धाराओं 140(1), 103(1), 61(2), 3(5), 238 बी.एन.एस. के अंतर्गत, थाना - नंदग्राम, जिला - गाजियाबाद में, विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है और उसे वर्तमान मामले में असत्य रूप से फँसाया गया है। उसका नाम तत्पश्चात सह-अभियुक्त व्यक्ति के बयान तथा सी.डी.आर. और सी.सी.टी.वी. फुटेज के आधार पर सामने आया है। उक्त सी.सी.टी.वी. फुटेज में आवेदक अपराध का कर्ता नहीं दिखता, बल्कि वह केवल वहाँ खड़ा दिखाई देता है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि पी.डब्ल्यू.-1 का बयान दर्ज किया गया और मुख्य परीक्षण के दौरान उसने आवेदक को कोई प्रत्यक्ष कृत्य नहीं सौंपा। उसने केवल यह कहा है कि आवेदक भी सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ उपस्थित था। उक्त साक्षी का प्रति-परीक्षण पूर्ण नहीं हो सका क्योंकि उस बीच उसकी मृत्यु हो गई।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि पी.डब्ल्यू.-2 का बयान भी दर्ज किया गया है और उसने भी आवेदक को नामजद नहीं किया है। वर्तमान प्रकरण के पश्चात उस पर थोपे गए उ.प्र. गैंगस्टर अधिनियम के एक मामले के अतिरिक्त आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 27.08.2024 से जेल में बंद है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
7. सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का दृढ़तापूर्वक विरोध किया है परंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए कथनों को विवादित नहीं कर सके।
8. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से विचारण की स्थिति मँगवाई थी। दिनांक 06.12.2025 की उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार दो साक्षियों से परीक्षण किया जा चुका है और

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आवेदक द्वारा वर्णित तथ्य इस बात से पुष्ट होते हैं कि पी.डब्ल्यू.-2 का बयान अपूर्ण है और यहाँ तक कि पी.डब्ल्यू.-1 का बयान भी उसकी मृत्यु के कारण पूर्ण नहीं हो सका।

9. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए कथनों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 के बयानों तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय की यह राय है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
10. उक्त प्रकरण अपराध में संलिप्त आवेदक - अंकुर को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रत्येक उतनी ही राशि की दो जमानतें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी कान से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए। (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा। (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
11. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।
12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में किए गए अवलोकन किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर स्वतंत्र मत बनाने से प्रभावित नहीं करेंगे।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल) 19 जनवरी, 2026 (रवि कांत)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"